स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (SHPC) की तृतीय बैठक दिनांक 30.06.2017 (शुक्रवार) का कार्यवृत्त:--

उपस्थिति :--

1--श्री चंचल कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2--श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
3--श्री कुमार कमलेश, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4--श्री रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5--श्रीमती आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव, [illegible], उ0प्र0 शासन।
6--मिसेज वी0 हेकाली झिमोमी, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7--श्रीमती अनीता मेश्राम, सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
8--श्री भगवान स्वरूप, सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
9--श्री अजय सत्व, विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10--श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, नगर आयुक्त, बरेली।
11--श्री अरुण प्रकाश, नगर आयुक्त, आगरा।
12--श्री पी0पी0 सिंह, नगर आयुक्त, गोरखपुर।
13--श्री सहदेव, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
14--श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
15--श्री आर0एम0 त्रिपाठी, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
16--श्री एन0एच0 रिजवी, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
17--श्री संतोष कुमार शर्मा, नगर आयुक्त, अलीगढ़।
18--श्री [illegible] सिंह, नगर आयुक्त, [illegible]।
19--श्री [illegible] सिंह निरंजन, अपर शिक्षा निदेशक (मा0शि0), उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा।
20--श्री [illegible] कुमार [illegible], संयुक्त निदेशक, [illegible]।
21--श्री [illegible] मिश्र, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा।
22--श्री [illegible] कुमार, उप निदेशक, पर्यटन विभाग।
23--श्री [illegible] कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, [illegible]।
24--श्री [illegible] सिंह, संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा।
25--श्री [illegible] सिंह, संयुक्त सचिव।
26--श्री राकेश सोलंकी।
27--सुश्री श्रुति शुक्ला, उप निदेशक, पर्यावरण।
28--श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक(लेखा), स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
29--श्री अखण्ड प्रताप सिंह, विशेष सचिव, पर्यटन विभाग।
30--डा0 राजेश कुमार, विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग।
31--श्री प्रताप सिंह, भदौरिया, नगर आयुक्त, झांसी।
32--डा0 वी0के0 सिंह, अपर निदेशक, सूडा।
33--श्री ओ0पी0 वर्मा, नगर आयुक्त, सहारनपुर।
34--श्री आर0के0 कल्याण, संयुक्त सचिव, [illegible]।
35--श्री [illegible] कुमार चौहान, नगर आयुक्त, [illegible]।
36--श्री [illegible] सिंह, नगर आयुक्त, [illegible]।
37--डा0 [illegible] सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, [illegible] नगर निगम।
38--श्री [illegible], विशेष सचिव, [illegible] विभाग।
39--श्री [illegible] कुमार, नगर आयुक्त, फिरोजाबाद।
40--श्री [illegible] कुमार शर्मा, नगर आयुक्त, मुरादाबाद।
41--डा0 अखलाक हुसैन, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
42--श्री ए0के0 राय, मुख्य महाप्रबन्धक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
43--श्री राजेश कुमार, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
44--श्री एम0पी0 सिंह, अपर आयुक्त, परिवहन।
45--श्री वी0के0 चौरसिया, सलाहकार शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
46--श्री विशाल भारद्वाज, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
47--श्री राजीव श्रीवास्तव, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
48--श्री विजय किरन आनन्द, मिशन निदेशक, एस0बी0एम0 (ग्रामीण)।

4. [एजेण्डा बिन्दु संख्या–1: मिशन के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय मद में धनराशि की मांग के संदर्भ में भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन।

राज्य मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि 4,82,076 व्यक्तिगत शौचालयों के संदर्भ में जारी केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि हेतु रू0 96.4152 करोड़ की मांग भारत सरकार से की गयी है। उक्त के अतिरिक्त शेष मिशन लक्ष्य के संदर्भ में 5,52,911 व्यक्तिगत शौचालय एवं 27285 सामुदायिक शौचालय की सीटों के निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 217.5394 करोड़ निर्गत करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध (पत्र संख्या–पी0एम0यू0/101/433(2)/2017 दिनांक 18 मई, 2017) किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य मिशन निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु जारी केन्द्रांश की प्रथम किस्त की धनराशि रू0 119.51 करोड़ के सापेक्ष रू0 91.65 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को दिनांक 20.04.2017 को प्रेषित किया जा चुका है। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु केन्द्रांश की शेष धनराशि रू0 213.9516 करोड़ की मांग के सम्बन्ध में राज्य मिशन निदेशालय द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये गये मांग पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के संदर्भ में समिति द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशालय)

5. एजेण्डा बिन्दु संख्या–2: मिशन के सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल मद में धनराशि की मांग के संदर्भ में भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन।

राज्य मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु पहले कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती थी परन्तु अब धनराशि रू0 39,200/– प्रति सीट दी जा रही है। उक्त के अतिरिक्त यूरिनल के रूप में नया कम्पोनेन्ट मिशन के कार्यों में शामिल किया गया है एवं इसके लिए केन्द्रांश की धनराशि रू0 12,800 प्रति सीट निर्धारित की गई है। राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 10.08.2016 में लिये गये निर्णय के अनुपालन सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल के संदर्भ में केन्द्रांश के बराबर ही राज्यांश की धनराशि निर्धारित की गई है। उक्त के दृष्टिगत 26,084 सार्वजनिक शौचालय की सीटों एवं 40,436 मूत्रालय सीटों के निर्माण हेतु केन्द्रांश की धनराशि रू0 157.5354 करोड़ निर्गत करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध (पत्र संख्या–पी0एम0यू0/81/433(2)/2017 दिनांक 09 मई, 2017) किया गया। राज्य मिशन निदेशालय द्वारा भारत सरकार को प्रेषित उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशालय)

6. एजेण्डा बिन्दु संख्या–3:

मिशन के आई0ई0सी0 मद के अन्तर्गत निकायों को पूर्व में जारी धनराशि के सापेक्ष अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

राज्य मिशन निदेशक द्वारा निकायों की आवश्यकता के दृष्टिगत उन्हें निर्गत की जाने वाली धनराशि की सीमा बढ़ाने तथा निदेशालय स्तर पर संरक्षित धनराशि से निकायों को अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त करने संबंधी प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा जिस पर समिति द्वारा आई0ई0सी0 मद में राज्य को अवमुक्त धनराशि का अधिकतम 75 प्रतिशत तक की सीमा के अन्तर्गत निकायों को धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि निकायों को यह संदर्भित धनराशि उनके द्वारा पूर्व में जारी धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मांग पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही दी जाय।

(कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशालय)

7. एजेन्डा बिन्दु संख्या–4: मिशन के अन्तर्गत आई0ई0सी0 एवं जन–जागरूकता तथा कैपेसिटी बिल्डिंग एवं प्रशासनिक व अन्य व्यय हेतु वार्षिक कार्ययोजना हेतु वर्ष 2017–18 का अनुमोदन।

राज्य मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 30–01–2017 के अनुपालन में आई0ई0सी0 एंव कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यों हेतु वार्षिक कार्ययोजना 2017–18 तैयार करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। तदनुसार आई0ई0सी0 एवं जन–जागरूकता कार्ययोजना रू0 47.37 करोड़ तथा कैपेसिटी बिल्डिंग एवं प्रशासनिक व अन्य व्यय रू0 80.73 करोड़ तैयार की गयी है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कैपेसिटी बिल्डिंग एवं प्रशासनिक व अन्य व्यय कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। आई0ई0सी0 एवं जन–जागरूकता से सम्बन्धित कार्ययोजना के तकनीकी एवं वित्तीय बिन्दुओं के संदर्भ में सूचना विभाग से विचार–विमर्श कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशालय)

8. एजेन्डा बिन्दु संख्या–5: मिशन के सार्वजनिक शौचालय मद के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण।

राज्य मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि स्वच्छ भारत मिशन कार्ययोजना के अन्तर्गत कुल 26,984 सार्वजनिक शौचालय की सीटों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रू0 39,200/– प्रति सीट दी जा रही है। राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 10.08.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार सार्वजनिक शौचालय के संदर्भ में केन्द्रांश के बराबर ही राज्यांश की धनराशि निर्धारित है। स्वीकृत कार्ययोजना के आधार पर 26,984 सार्वजनिक शौचालय की सीटों के निर्माण की लागत रू0 264.4432 करोड़ आंकलित है, जिसमें 40 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि रू0 105.78 करोड़ एवं 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 105.78 करोड़ निर्धारित होगी। शेष धनराशि निकायों द्वारा स्वयं अथवा पी0पी0पी0 माध्यम से वहन किया जाना होगा। समिति द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त सार्वजनिक शौचालय निर्माण संबंधी कार्ययोजना आंकलित लागत रू0 264.4432 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशालय)

9. एजेन्डा बिन्दु संख्या–6: मिशन के यूरिनल मद के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण।

राज्य मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि मिशन में यूरिनल के रूप में नया कम्पोनेन्ट शामिल किया गया है, जिस हेतु केन्द्रांश की धनराशि रू0 12,800 प्रति सीट निर्धारित है। राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 10.08.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार यूरिनल के संदर्भ में केन्द्रांश के बराबर ही राज्यांश की धनराशि निर्धारित की गयी है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोंपरान्त 40436 यूरिनल सीट निर्माण संबंधी कार्ययोजना अनुमानित लागत रू0 129.3952 करोड़ (केन्द्रांश रू0 51.76 करोड़, राज्यांश 51.76 करोड़) का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशालय)

10. एजेन्डा बिन्दु संख्या–7: मिशन के अन्तर्गत नगर निगम, झांसी द्वारा प्रस्तुत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना रू0 15.00 करोड़ के सापेक्ष केन्द्रांश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री वी0के0 चौरसिया द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय के दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत सरकार किसी परियोजना हेतु धनराशि तभी स्वीकृत करेगा जबकि निर्धारित केंद्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। समिति द्वारा इस पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया गया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय के दिशा–निर्देशों से सीधे तौर पर आच्छादित नहीं होता है। उक्त प्रस्ताव संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 23.12.2016

द्वारा राज्य सरकार को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त कार्य हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी मे0 आर0 आर0 कलेक्टिव, नई दिल्ली को चयनित भी किया जा चुका है जिसके द्वारा कार्य भी प्रारम्भ कर दिये गये हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा कार्यदायी संस्था के चयन की प्रकिया का नियमों के आलोक में पुनः परीक्षण कराने तथा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से इस संदर्भ में मार्गदर्शन प्राप्त करने कि, क्या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के दिशा–निर्देशों से आच्छादित है या नहीं ? के निर्णय लिये गये।

(कार्यवाहीः राज्य मिशन निदेशालय/नगर निगम झांसी)

11. एजेण्डा बिन्दु–8–मिशन के अन्तर्गत नवसृजित निकायों में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (पी0आई0यू0) में आवश्यक अतिरिक्त पदों पर आउट–सोर्सिंग के माध्यम से तैनाती।

राज्य मिशन निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में 636 नगर निकायों हेतु पी0आई0यू0 में 75 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर कम आई0टी0 स्पेशलिस्ट एवं 561 मल्टी टास्किंग स्टाफ कम कम्प्यूटर ऑपरेटर ही स्वीकृत किया गया था परन्तु वर्तमान में निकायों की संख्या बढ़कर 652 हो गई है। राज्य मिशन निदेशक द्वारा वर्तमान में नगर निकायों की बढ़ी हुयी संख्या के आधार पर सभी 652 निकायों में पी0आई0यू0 के गठन एवं उनमें आवश्यक अतिरिक्त 16 कार्मिकों (मल्टी टास्किंग स्टाफ कम कम्प्यूटर ऑपरेटर) के आबद्धीकरण पूर्व स्वीकृत दर पर वर्तमान में चयनित सेवा प्रदाता संस्था से ही कराये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव के साथ–साथ भविष्य में नवसृजित होने वाली नगर निकायों में भी पी0आई0यू0 गठन की अनुमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाहीः राज्य मिशन निदेशालय)

12. एजेण्डा बि न्दु–9–मिशन के अन्तर्गत राज्य मिशन निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) में आवश्यक अतिरिक्त पदों पर आउट–सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति।

स्वच्छ भारत मिशन के सघन सर्वेक्षण हेतु राज्य मिशन निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में पूर्व नियोजित जन शक्ति के अतिरिक्त वर्तमान में निम्न अतिरिक्त जन शक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता संस्था से आबद्ध करने तथा उक्त पर प्रतिवर्ष लगभग रू0 28.80 लाख (सर्विस चार्ज एंव अन्य अतिरिक्त व्यय) को ए0 एण्ड ओ0ई0 मद से वहन करने संबंधी प्रस्ताव पर समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी ।

Sl No	Post Description	No	Remuneration/Person
1	Solid Waste Management Specialist	1	Rs. 60,000/- Per Month
2	Data Analyst	2	Rs. 35,000/- Per Month
3	Documentation Manager	1	Rs. 35,000/- Per Month
4	Data Entry cum Computer Operator	2	Rs. 15,000/- Per Month
5	Multi Tasking Staff	3	Rs. 10,000/- Per Month
	Total	09	Rs. 2,40,000/- Per Month+Applicable Taxes and Charges

(कार्यवाहीः राज्य मिशन निदेशालय)

13. एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–10: प्रदेश में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु राज्यांश की प्रोत्साहन राशि बढाये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य मिशन निदेशक द्वारा मिशन के महत्व एवं लक्ष्यपूर्ति की प्राथमिकता/समयबद्धता के दृष्टिगत व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के संदर्भ में राज्यांश की धनराशि रू0 4000/– से बढ़ाकर रू0 6000/– का प्रस्ताव रखा। सचिव, वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किये जाने का सुझाव दिया गया। तदनुसार समिति द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः राज्य मिशन निदेशालय/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन)

उपरोक्तानुसार हुये विचार विमर्श तथा संस्तुति/निर्णय के पश्चात बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव

उ0प्र0 शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-1539/नौ-5-2017-355सा/2014
लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव